यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल (नैनीताल)** के माह 04/2012 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 05.03.2018 से 07.03.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत चिकित्सालय, उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, परिवार कल्याण, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड, भीमताल है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

**(ii) (अ)** विगत छः वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

**(रु0 लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवषेष | | स्थापना | | गैर–स्थापना | | स्थापना | | गैर–स्थापना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) | आधिक्य (+) | बचत (-) |
| 2012–13 | – | – | 137.73 | 130.24 | 190.74 | 168.45 | – | 7.49 | – | 22.29 |
| 2013–14 | – | – | 157.08 | 153.86 | 252.54 | 230.07 | – | 3.22 | – | 22.47 |
| 2014–15 | – | – | 199.94 | 196.91 | 280.31 | 280.00 | – | 3.03 | – | 0.31 |
| 2015–16 | – | – | 179.56 | 179.56 | 270.65 | 263.12 | – | – | – | 7.53 |
| 2016–17 | – | – | 194.60 | 194.60 | 249.75 | 249.75 | – | – | – | – |
| 2017–18 (01/2018) | – | – | – | – | 570.10 | 432.91 | – | – | – | 137.19 |

**(ब)** केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

**(रु0 लाख में)**

| **वर्ष** | **योजना का नाम** | **प्रारम्भिक अवशेष** | **प्राप्त** | **व्यय** | **आधिक्य (+)** | **बचत (-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | 2.04 | 44.12 | 39.95 | – | 6.21 |
| 2013–14 | | 6.21 | 46.70 | 45.34 | – | 7.57 |
| 2014–15 | | 7.57 | 84.22 | 67.92 | – | 23.87 |
| 2015–16 | | 23.87 | 98.62 | 98.18 | – | 24.31 |
| 2016–17 | | 24.31 | 105.24 | 119.71 | – | 9.84 |
| 2017–18 (01/2018) | | 9.84 | 27.65 | 37.48 | – | 0.01 |

**(iii)** इकाई को अधिष्ठान हेतु बजट आबंटन महानिदेशालय स्तर एवं एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वाथ्य

⇓

सचिव/अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

⇓

महानिदेशक

⇓

निदेशक

⇓

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

⇓

चिकित्सा अधीक्षक

⇓

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

⇩

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

⇩

चिकित्साधिकारी

⇩

पैरामेडिकल संवर्ग

⇩

मिनिस्टिरियल संवर्ग

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जून 2014, मार्च 2017 एवं अक्टूबर 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

## STAN

**प्रस्तर–1 रु0 1.13 लाख का अनियमित व्यय।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार रु0 15,000 तक के मूल्य की सामग्री का क्रय बिना किसी कोटेशन/निविदा के खुले बाजार से सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर की जा सकती है।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल, नैनीताल के रोकड बही/वाउचरों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा रु0 32,000 की धनराशि से लेखन सामग्री का क्रय एक ही फर्म मै0 एल0के0 स्टेशनर्स, नैनीताल से एक ही तिथि दिनॉक 14.03.2015 में छोटे–छोटे टुकडों में विभक्त कर किया गया था। जिसके कारण न केवल उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया अपितु थोक क्रय के कारण प्राप्त होने वाली उचित प्रतिस्पर्धी दरों को भी प्राप्त करने में असफल रहा ताकि क्रय समिति की संस्तुति से बचा गया। इसके अतिरिक्त जॉच में पाया गया कि चयनित माह मार्च 2017 में बोल्टास वाटर कूलर, रु0 35,535 एवं सी0सी0 रोड कार्य, रु0 45,705 अर्थात कुल रु0 81,240 का व्यय बिना चिकित्सा प्रबन्धन समिति में प्रस्तावित कर अध्यक्ष के अनुमोदन के किया गया। इसप्रकार, कुल रु0 1.13 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य की महत्ता के मद्देनजर उपरोक्त सामग्री क्रय की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि कार्य की अति आवश्यकता भी थी तो उस हेतु वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए था।

अतः रु0 1.13 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| प्रथम लेखापरीक्षा | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

## भाग–IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**–– शून्य ––**

## भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल (नैनीताल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

| **क्र0 सं0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1. | डा0 के0एस0 मर्तोलिया | चिकित्सा अधीक्षक | 01.04.2012 से 12.07.2013 |
| 2. | डा0 सुधीर कुमार कन्याल | –– तदैव –– | 13.07.2013 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**